उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 875 —विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2020—7—विनियम/19 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम—2013 की धारा—179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल—47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 26.10.2020 को परिचालन विधि के माध्यम से सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है :—

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 कही जायेगी।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(ग) यह कम्पनी एक्ट—2013 के सेक्शन 179 एवं कम्पनी एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन **उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0** के समस्त कार्मिक एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों यथा **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0** के उन कार्मिकों पर भी लागू होगी, जो उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के कामन कैडर के सदस्य है।

परिभाषाएं 2— जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "कारपोरेशन" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड" से है,

(ग) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस विनियमावली के नियम—7 के अधीन जांच से है,

(घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम—6 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है,

(ड़) "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल से है,

(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के अध्यक्ष से है,

(छ) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के प्रबन्ध निदेशक से है,

(ज) "कार्मिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम

लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 की ऐसी सेवायें एवं पद जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामन कैडर में हैं, के कार्यो से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(झ) "समूह 'क', 'ख','ग', एवं 'घ' के पदो" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली या इस संबंध में समय–समय पर जारी कॉरपोरेशन के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है,

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवाओं और पदों से है।

शास्तियाँ

3–निम्नलिखित शास्तियाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, कार्मिकों पर अधिरोपित की जा सकेगी :–

<u>लघु शास्तियाँ</u>

(एक) परिनिन्दा,

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना,

(तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण कॉरपोरेशन को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना,

(चार) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना,
परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

(पाँच) अवचार।

<u>दीर्घ शास्तियाँ</u>

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना।

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना।

(तीन) सेवा से हटाना (Removal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नही करता हो।

(चार) सेवा से पदच्युति (Dismissal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– इस विनियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात् :–

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी कार्मिक की वेतनवृद्धि को रोकना,

(दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या

उसकी समाप्ति पर नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन,

(तीन) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवा की पर्यवस्यन।

निलम्बन

4–**(एक)** कोई कार्मिक जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सशक्त अधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कार्मिक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो।

(दो) कोई कार्मिक, जिसके संबन्ध में या जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो कार्मिक के रूप में उसकी स्थिति से संबन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे इस विनियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलंबित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबन्धित समस्त कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जाये।

(तीन) *(क)* कोई कार्मिक यदि वह अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो, चाहें निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

(ख) उपर्युक्त कार्मिक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ इस विनियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपान्तरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(चार) कोई कार्मिक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नही गया है, तो इस विनियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।

(पाँच) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस विनियमावली या इस विनियमावली द्वारा विस्थापित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाये वहाँ

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–विनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहाँ,किसी कार्मिक पर पदच्युत या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रेतर जांच लंम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(छः) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणाम स्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाये या शून्य कर दिया गया और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाये, वहां :

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या सेवा से हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, *"पदच्युति"* या *"सेवा से हटाने"* के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(सात) जहां कोई कार्मिक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाये या निलम्बित किया गया समझा जाये और

कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाये, वहाँ निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि वह कार्मिक तब तक निलंबित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये।

(आठ) इस विनियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहरण न कर दिया जाये।

(नौ) इस विनियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई कार्मिक फाइनेन्शियल हैंण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेन्टल रूल–53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि

5–इस विनियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित कार्मिक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त कार्मिक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैंण्ड बुक, खण्ड दो, भाग–दो से चार के नियम–54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण माँगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अनुशासनिक प्राधिकारी

6–किसी कार्मिक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम–3 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युति या सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस विनियमावली के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पदों के किसी कार्मिक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जाये, प्रत्यायोजित कर सकती है।

दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया,

7– किसी कार्मिक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :–

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है या जांच समिति का गठन कर सकता है।

(दो) अपचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायगा जिसे आरोप–पत्र कहा जायेगा। आरोप–पत्र अद्यतन पद धारिता के अनुरूप सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक मण्डल हों वहां आरोप–पत्र निदेशक मण्डल द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे, जिसमें आरोपित कार्मिक के विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सके।

आरोप–पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो, आरोप–पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(चार) आरोपित कार्मिक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे, और यह कथन करे कि, आरोप–पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। आरोपित कार्मिक को नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत सुनवाई का अवसर जांच समिति/जांच अधिकारी द्वारा अवश्य प्रदान किया जाये तथा उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

(पांच) आरोप–पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ कॉरपोरेशन के आरोपित कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी। उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को आरोपी कार्मिक के निवास/कार्य स्थल के व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो, वहॉ इसकी प्रति आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित कार्मिक को उसे जांच अधिकारी/जांच समिति के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(छः) जहॉ आरोपित कार्मिक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहॉ जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहॉ आरोपित कार्मिक आरोपों को इन्कार करता है, वहॉ जांच अधिकारी/जांच समिति आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी/जांच समिति अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी/जांच समिति सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहॉ आरोपित कार्मिक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है तो, जांच अधिकारी/जांच समिति एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी/जांच समिति आरोपित कार्मिक की अनुपस्थिति में, आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी कार्मिक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा नियुक्त कर सकता है।

(बारह) कार्मिक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य कार्मिक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दिया गया हो :–

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

(क) जहॉ किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराये , या

(ख) जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगे, यह समाधान हो जाता है कि इस विनियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नही है, या

(ग) जहॉ निदेशक मण्डल का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस विनियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

जॉच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

8–जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी/जांच समिति, जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष कर विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी/जांच समिति शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

जॉच रिपोर्ट पर कार्यवाही

9–(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी कार्मिक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनःजांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी/जांच समिति को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त

जांच अधिकारी/जांच समिति उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, विनियम–7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

(दो) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(तीन) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित कार्मिक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायगा और तद्नुसार उसे संसूचित कर दिया जायेगा।

(चार) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित कार्मिक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (दो) के अधीन जॉच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जॉच और आरोपित कार्मिक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियॉ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित कार्मिक को संसूचित करेगा।

लघु शास्तियॉ अधिरोपित करने के लिए प्रकिया

10–(एक) जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण है, वहॉं वह उपनियम (दो) के अध्यधीन रहते हुए नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियॉं अधिरोपित कर सकेगा।

(दो) कार्मिक को उसके विरूद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बंधित कार्मिक को संसूचित किया जायेगा।

(तीन) यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत कार्य स्थल के प्रभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाती है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जांच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति (जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा) गठित करता है तो ऐसी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपचारी सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकता है और एक पृथक जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अपील

11–(एक) इस विनियमावली के अधीन निदेशक मण्डल द्वारा पारित आदेश के सिवाय, कार्मिक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

(दो) अपील, अपीलीय प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई कार्मिक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

(तीन) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

(चार) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

अपील पर विचार

12– अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात अपील में इस विनियमावली के नियम–13 के खण्ड (क) से (घ) में यथा उल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे–

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके है,

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और

(ग) क्या शास्ति अत्याधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

पुनरीक्षण

13– इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, समूह 'क' एवं 'ख' के मामले में अध्यक्ष एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के मामले में प्रबन्ध निदेशक स्वप्रेरणा से या संबंधित कार्मिक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और,

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका संशोधन कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रेतर जांच की जाय, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

पुनर्विलोकन

14– निदेशक मंडल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित कार्मिक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर

15– नियम–12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित कार्मिक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

विखण्डन और व्यावृत्ति 16–(एक) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 को इस विनियमावली द्वारा विस्थापित की जाती है।

(दो) ऐसे विस्थापन के होते हुए भी,–

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी को नियम–3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस विनियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखण्डित न कर दिया जाय।

(ख) इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्बित कोई जाँच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा,

(ग) इस विनियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी। जो उसे इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के संबंध में इस विनियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस विनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस विनियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेगी, मानों इस विनियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संं0 875–(I)–विनियम एवं का0वि0नी0–29/पाकालि/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0।
11- संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
15- उप सचिव (सचि0प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के उपलब्ध कराये गये कार्यवृत्त सं0 459/पाकालि/बैठक/20 दिनांक 26.10.2020 के अनुपालन में।
19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0)